न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0– 351 सन् 2005

अमरेन्द्र तिवारी.....वादी

बनाम

विष्णु भगवान तिवारी व अन्य .....प्रतिवादीगण

दिनांक– 16.08.2021

उभय पक्ष की ओर से हाजरी दी गई है। आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 16.12.2019 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का कथन है कि विष्णु भगवान तिवारी प्रतिवादी सं0 1 की मृत्यु दिनांक 07.04.2019 को हो गई। वादी को इसकी सूचना प्रतिवादी के द्वारा न्यायालय में दी गई सूचना से हुई। परंतु प्रतिवाद की ओर से प्रतिवादी सं0 1 विष्णु भगवान तिवारी के वारिसानों का नाम न्यायालय को नहीं बताया गया है और न ही वादी के द्वारा दिया गया आवेदन का प्रतिउत्तर ही दाखिल किया। जिसके कारण वादी को प्रतिस्थापना आवेदन दाखिल करने में विलंब हुआ है। वादी बैंक में नौकरी करने के कारण बाहर में रहता है। पता लगने पर वादी को प्रतिवादी सं0 1 के वारिसानों का नाम मालूम हुआ जिनका नाम प्रतिस्थापित होना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 1 विष्णु भगवान तिवारी के वारिसानों का नाम जोड़ दिया जाए।

वादी की ओर से दिनांक 16.12.2019 को आदेश 22 नियम 9 के अंतर्गत उपसमन को अपास्त करने हेतु भी आवेदन दाखिल किया है। जिसमें उन्हें प्रतिवादी सं0 1 की मृत्यु की जानकारी समय सीमा के अंदर नहीं हो सकी। जिसके कारण

प्रतिस्थापना आवेदन विलंब से दाखिल किया है। अतः उपसमन का समाप्त कर प्रतिस्थापना आवेदन को मंजूर करने हेतु निवेदन किया है। वादी की ओर से दिनांक 16.12.2019 को ही धारा 5 परिसीमा विधि के अंतर्गत आवेदन देकर विलंब को माफ करने हेतु निवेदन किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से दिनांक 24.02.2020 को प्रतिउत्तर दाखिल किया गया। जिसमें उनका कथन है कि प्रतिवादी सं0 1 वादी के फरीक हैं और इनकी मृत्यु की जानकारी वादी को पहले से रहती आई है। पहले–पहल भी वादी की ओर से विलंब से प्रतिस्थापना आवेदन जानबूझकर दाखिल किया गया है। अतः वादी का प्रतिस्थापना आवेदन को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख के अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत बंटवारा वाद में प्रतिवादी सं0 1 विष्णु भगवान तिवारी थे, जिनकी मृत्यु के संबंध में प्रतिस्थापना आवेदन वादी की ओर से दाखिल किया गया है। प्रतिस्थापना आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है। वादी ने अपने आवेदन में कहा है कि प्रतिवादी सं0 1 की मृत्यु की जानकारी उन्हें देर से हुई। इसलिए उन्होंने जानबूझकर कर प्रतिस्थापना विलंब से दाखिल नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन 16.12.2019 को उपसमन अपास्त करते हुए और विलंब को माफ करते हुए न्यायहित में 500/– रूपये खर्चे के साथ स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे वादपत्र से प्रतिवादी सं0 1 विष्णु भगवान तिवारी का नाम काटकर उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें।

वाद दिनांक 23.08.2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।